बिहार सरकार
उद्योग विभाग
(हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय)

आदेश

मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास योजना (वर्ष 2012–13 से 2015–16) के क्रियान्वयन के विहित प्रक्रिया में भुगतान की प्रक्रिया में संलग्न अनुसूची–'क' के अनुसार संशोधन किए जाते हैं। विहित प्रक्रिया के अन्य निदेश यथावत् रहेंगे। यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

अनु0:– अनुसूची–'क'

ह0–
निदेशक
हस्तकरघा एवं रेशम,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1491 दिनांक– 10.09.13

प्रतिलिपिः– उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र), गया/भागलपुर, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बांका/रोहतास/नवादा/नालन्दा/सिवान/मधुबनी/पटना/औरंगाबाद एवं आई० टी० मैनेजर उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.09.13
निदेशक
हस्तकरघा एवं रेशम,
बिहार, पटना।

मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास योजना वर्ष 2012–13 से 2015–16 की निर्धारित प्रकिया में संशोधन ।

अनुसूची–'क'

क0	शीर्ष जिसमें संशोधन करना है	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन	संशोधन का औचित्य
1	2	3	4	5
1	योजना के पात्र बुनकर	भारत सरकार द्वारा जिन्हें बुनकर पहचान पत्र निर्गत किया गया हो, अथवा वास्तविक रूप से बुनाई कार्य करने का महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र / उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र) द्वारा बुनकर पहचान पत्र निर्गत किया गया हो।	योजना के पात्र बुनकरों में वर्तमान प्रावधान के **अलावा** स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड धारक को शामिल **किया** जाता है।	योजना का लाभ अधिक से अधिक बुनकर ले सकें।
2	भुगतान की प्रकिया	(क)– पात्र एवं चयनित बुनकरों को पूराने करघे के स्थान पर नये करघे उपलब्ध कराने हेतु 15000/–रू0 की राशि उनके बैंक खाता में उपलब्ध करायी जायेगी। बुनकर इस राशि की निकासी दो किस्तों में कर पायेंगे। (ख)– लूम स्थापित कर उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने के उपरान्त कॉर्पस फंड की राशि 5000/– रू0 लाभुक के बैंक खाता में उपलब्ध करायी जायेगी। (ग)– उपर्युक्त दोनों योजनाओं में दी गयी राशि का सदुपयोग करनेवाले बुनकरों को कर्मशाला निर्माण हेतु 40,000/– रू0 उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका भुगतान लाभुक बुनकर के बैंक खाता में 25,000/– एवं 15,000/– रू0 दो किस्तों में की जायेगी।	– कर्मशाला निर्माण हेतु चयनित एवं पात्र बुन**करों को** सर्वप्रथम 40,000/– रू0 दो किस्तों में **(प्रथम** किस्त–25,000/– एवं द्वितीय किस्त– 15,000**/–)** उनके बैंक खाता में उपलब्ध करा दिया जायेगा। – साथ ही वैसे बुनकर जिन्हें केडिट कार्ड निर्गत **हो और** ऋण खाता नियमित हो उनके बुनकर केडिट **कार्ड के** ऋण खाता में कॉर्पस फंड की राशि 5000/– **रू0** उपलब्ध कराया जायेगा। – कर्मशाला निर्माण की राशि का सदुपयोग **कर** उपयोगिता प्रमाण पत्र बुनकरों द्वारा समर्पित **करने पर** नये करघे क्रय करने हेतु 15000/– रू0 **राशि का** भुगतान दो किस्तों में (प्रथम किस्त–12,000/– **एवं** द्वितीय किस्त– 3,000/–) उनके बैंक खाता **में किया** जायेगा।	मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास योजना के कियान्वयन के क्रम में पदाधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान बुनकरों द्वारा अवगत कराया गया, कि बुनकरों को आवास की समुचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण नये लूम स्थापित करने में कठिनाई हो रही है, इसलिए सर्वप्रथम कर्मशाला निर्माण हेतु अनुदान की मांग की गयी।

C:\Documents and Settings\USER\My Documents\Anand Mohan\Letters.doc

3	विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0– 4052 दि0–21.8.12 एवं आदेश सं0–1415 दिनांक–25.03.13 द्वारा स्वीकृत योजना का कियान्वयन	पात्र एवं चयनित बुनकरों को नये लूम कय हेतु 12,000/– रू0 प्रथम किस्त उपलब्ध करायी गयी है।	यदि बुनकर माह–सितम्बर,13 तक नये करघे कय कर द्वितीय किस्त की राशि की मांग करते हैं तो उन्हें द्वितीय किस्त की राशि 3000/– रू0 उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही कमांक–2 के कॉलम–4 के अनुसार कर्मशाला निर्माण एवं कॉर्पस फंड का भुगतान किया जायेगा। अथवा यदि बुनकर माह–सितम्बर, 13 तक लूम कय नहीं करते हैं और कर्मशाला निर्माण अनुदान प्राप्त करने के लिए भी चयनित हैं, तो यह 12000/– रू0 कर्मशाला निर्माण हेतु व्यय करने की अनुमति दे दी जायेगी और इसे प्रथम किस्त माना जायेगा। पूर्व से निर्धारित कर्मशाला निर्माण की विहित प्रकिया का अनुपालन करने पर शेष 28,000/– अनुदान दिए जायेगे। अथवा यदि बुनकर माह– सितम्बर,13 तक लूम कय नहीं करते हैं और कर्मशाला निर्माण के लिए चयनित नहीं हैं और कर्मशाला निर्माण की पात्रता रखते हैं तो चयन समिति से चयनित होने पर उपर्युक्त के अनुसार कार्रवाई की जायेगी। अथवा यदि बुनकर सितम्बर,13 तक लूम कय नहीं करते हैं और कर्मशाला निर्माण के लिए चयनित नहीं हैं और पात्रता नहीं रखते हैं उन्हें राशि लौटानी होगी। नहीं लौटाने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।	

6/9/13

निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम,
बिहार, पटना।